सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी. रोड, तिरुवनन्तपुरम-695 001.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, THIRUVANANTHAPURAM-695 001.

P19/II/DRSSA-137/UP/ 2018-19

15/11/2018

To

All District/ Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Implementation of decision of State Government with regard to the recommendations of Pay Commission, Uttar Pradesh (2016) -Revision of Pension/Family Pension of Pre-2016 pensioners/ family pensioners of Uttar Pradesh State -reg.

Ref: 1.SSA No. Pen.Misc/RTI-65/1609, dated :27/09/2018 of the office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh.
2.Lr. No.23/2017/GI-3-329/X-2017/308/2016 dated: 18/07/2017 from the Secretary, Government of Uttar Pradesh

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh which encloses a letter from Government of Uttar Pradesh regarding implementation of decision of State Government with regard to the recommendations of Pay Committee, Uttar Pradesh (2016)-Revision of Pension/Family Pension of pre-2016 pensioners/family pensioners. The same is being placed in the official website of the office **(www.agker.cag.gov.in)** under the link ***"Treasury endorsement of orders for other state pensioners"*** . A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

15/11/18

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

दूरभाष / Telephone: 0471-2776100 फैक्स / Fax: 0471-2330242 ई-मेल/ E-mail : agaekerala@cag.gov.in
Website : http://www.agker.cag.gov.in

P19

Des/Lit/DR SSA/132
18/10/18

270386
11/10/18

पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phone: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402

पत्रांक:-पेंशन विविध/RTI-65/ 1609

दिनांक:- 27-9-2018

सेवा में,

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

Kerela,

Thiruvanthapuram. 695039

विषय:- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संसोधन ।

शासनादेश:- संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18-07-2017

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक पति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने कि कृपा करें ।

संलग्न:- यथोपरि ।

भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन विविध

संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 2017

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन का दिनॉक 01-01-2016 से संशोधित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनॉक 23 दिसम्बर, 2016 निर्गत किया जा चुका है।

2- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन विषयक 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत केन्द्र सरकार के संकल्प संख्या-38/37/2016-P&PW(A), दिनॉक 04-08-2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प के संबंध में संस्तुति प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2016- P&PW(A), दिनॉक 12 मई, 2017 निर्गत किया गया है।

3- केन्द्र सरकार के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनॉक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया गया था, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनॉक 01-01-2016 को

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के पूर्व कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 04-08-2016 की व्यवस्थानुसार, दिनॉक 01-01-2016 के पहले की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनॉक 12-05-2017 के कार्यालय-ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनॉक 01-01-2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनॉक 01-01-2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी।

4- उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि केन्द्र सरकार के संकल्प दिनॉक 04-08-2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प पर केन्द्र सरकार का निर्णय आने पर, राज्य सरकार द्वारा तद्नुसार आदेश निर्गत किये जाएं।

5- अतः केन्द्र सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 12 मई, 2017 में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश सरकार के वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन हेतु व्यवस्था कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनॉक 23 दिसम्बर, 2016 में दी गयी रीति के अनुसार वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन के साथ-साथ आगे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार भी पेंशन का संशोधन किया जायेगा और दोनों रीतियों से पेंशन संशोधन किये जाने पर दिनॉक 01-01-2016 से, संबंधित पेंशनर को पेंशन की वह धनराशि अनुमन्य होगी जो अधिक हो।

7- इस व्यवस्था के अन्तर्गत, दिनॉक 01-01-2016 के पहले सेवानिवृत्त/मृत उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित वेतनमान में आहरित अन्तिम वेतन का प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण उस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के उपरान्त जब-जब केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया, तब-तब प्रकल्पित रूप से किया जायेगा। इस प्रकार, दिनॉक 01-01-2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित

--3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।